उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-210/2017/3211/92-2-17-37जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 07 दिसम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सुलतानपुर में दिनांक 07-05-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न रहने तथा कर्तव्यो के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-70/2017/697/92-2-2017-37जांच/2017 दिनांक 11-05-2017 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री मरगूब अहमद जाफरी कार्यालय मुख्य अभियंता, (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व कर दिया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 25-07-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से स्थपित पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 13-10-2017 द्वारा जांच आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(4) के अंतर्गत श्री जाफरी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 24-10-2017 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-05-2017 द्वारा श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निलम्बन अवधि में नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वहन भत्ता को समायोजित कर सवेतन बहाल करते हुये बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-210 / 2017 / 3211(1) / 92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।